राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 17 / 2020 दायर दिनांक 20.03.2020

अनवान्

01.राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)। .....वादी

बनाम्

1. शंकरलाल पिता पृथ्वीराज कलाल निवासी बिजौलियां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. लादूलाल पिता पृथ्वीराज कलाल निवासी बिजौलियां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. सुरेश पिता पृथ्वीराज कलाल निवासी बिजौलियां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
4. दिलीप पिता पृथ्वीराज कलाल निवासी बिजौलियां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
5. गीता बाई पिता पृथ्वीराज कलाल निवासी बिजौलियां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
6. बालीबाई बेवा पृथ्वीराज कलाल निवासी बिजौलियां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
7. सुमित कुमार पुत्र मोहनलाल जोशी जाति ब्राह्मण निवासी बिजौलियां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)। .....प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 01. पैरोकार सरकार।
02. श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ – अधिवक्ता प्रतिवादीगण

लगातार पेज संख्या 02 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
– : प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. :–

–: निर्णय :–

दिनांक : 07/05/2026

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पैरोकार सरकार उपस्थित। पक्षकारान उपस्थित। संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बिजौलियां कलां पटवार मण्डल बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 1708/611 रकबा 5.00 बीघा किस्म बारानी तृतीय भूमि प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं।

उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण 07 की ओर से दिनांक 16.09.2025 को आदेश 7 नियम 11 जा .दी. का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने यह वादपत्र प्रतिवादीगणो की खातेदारी भुमि को खारीज किये जाने के मुख्य अनुतोष के साथ न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत् किया है। वादपत्र के अभिवचनो में वादी ने वादपत्र की कलम संख्या 4 में खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नही कर अवहेलना करने से बेदखली की डिक्री न्यायालय श्रीमान से चाही गयी है। उक्त अभिवचन व अनुतोष में तथाकथित किन–किन खातेदारी अधिकार की शर्तों की अवहेलना हुई। जिसको वादी निरस्त कराना चाहता है का सर्वथा अभाव हैं। तथाकथित खातेदारी अधिकार की शर्तों का उल्लघंन कब हुआ हैं उसी दिनांक को वाद हेतूक उन्ही पक्षकारो के विरूद्ध उत्पन होता है। जिनके मध्य तथाकथित खातेदारी शर्तों का उल्लंघन हुआ हो। उक्त तथ्यो के अभाव में वाद हेतुक का प्रकटीकरण सम्पुर्ण वाद में सम्भव नही है। वादपत्र में खातेदारी अधिकारी की शर्तों का उल्लंघन की कोई दिनांक वर्णित नही की गयी है न ही खातेदारी अधिकार का उल्लंघन करने की रिर्पोट पेश हुई है। इस कारण खातेदारी अधिकार की शर्त का उल्लंघन की दिनांक व किस खातेदार द्वारा शर्त का उल्लंघन किया गया है। प्रकटीकरण नहीं होने से वाद हेतूक

लगातार पेज संख्या 03 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

किस दिनांक को किन पक्षकारान के विरूद्व उत्पन्न हुआ है। का प्रकटीकरण नही होने से वादपत्र वाद हेतूक के अभाव में रिजेक्ट (खारीज) किये जाने योग्य है। खातेदारी भुमि को वादी निरस्त कराना चाहता है। वह किस दिनांक को खातेदारी भुमि होकर कब से प्रभावी हुई है। इसका विवरण भी वादपत्र के अभिवचनों में नहीं होने से वादपत्र में मियाद के बिन्दु का विनिश्चय सम्भव नहीं होकर वादपत्र को अन्दर अवधि की गणना नहीं की जा सकती है। और न ही मियाद के बिन्दु का विनिश्चय सम्भव है। इस कारण वाद मियाद के कानुनी बिन्दु से विधि द्वारा बाधित बारड बाई लॉ (Barrad by law) है। खातेदारी अधिकारो के आदेश को निरस्त करने का कोई प्रावधान धारा 177 R.T. ACT में नही है। धारा 177 R.T. ACT की मन्शा केवल कृषि प्रयोजनार्थ आवण्टित भुमि का उपयोग यदि अकृषि कार्य के लिये किया जाता है तभी प्रभावी हैं अन्यथा धारा 177 R.T. ACT के प्रावधान खातेदारी अधिकारो को समाप्त करने के लिये नही हैं। जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा के निर्णय दिनांक 18.03.2020 से वादी को वाद हेतूक उत्पन्न नहीं होता है क्योकि वादी द्वारा प्रस्तुत आवण्टन निरस्तीकरण का आवेदन का आधार भी नक्शे में तरमीम नही होने का आवण्टन शर्तों की पालना नही करने तथा मौके पर कब्जा काश्त नही होने बाबत् रहा है। इन बिन्दुओ का विनिश्चय जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा ने अपने निर्णय में कर आवण्टन निरस्त नही किया है। इस कारण वही आधार धारा 177 R.T. ACT की कार्यवाही के लिये पोषणीय maintable नही हैं वादपत्र में अग्रिम कार्यवाही किये जाने से पुर्व ही उक्त बिन्दुओ पर वादपत्र रिजेक्ट / खारीज किये जाने योग्य है। अतः प्रकरण में अग्रिम विचारण से पुर्व ही वादपत्र उक्त आधारो पर खारिज (रिजेक्ट) फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र के जवाब में वादी पैरोकार सरकार ने 07 नियम 11 जा. दी. का जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 5 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आराजी नं0 1708/611 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि में प्रत्येक का 1/5 हिस्सा सम्पूर्ण भूमि सुमित कुमार जोशी जाति ब्राह्मण निवासी बिजौलियां, तहसील बिजौलियां को बेचान करने से रजिस्टर्ड विक्रयपत्र की फोटूप्रति आदेश 1 नियम 10 के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करने से सुमित कुनार जोशी को प्रतिवादी नं0 7 बनाकर संशोधित शीर्षक पेश किया हैं। जो शामिल पत्रावली हैं।

लगातार पेज संख्या 04 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पक्षकार विपक्षी इस प्रकार पेश है कि प्राथी को यह जानकारी में आया है कि पटवार हल्का बिजोलियां द्वारा मौजा बिजौलियाँ पटवार हल्का बिजोलियां कि आराजी संख्या 1708/611 रकबा 0.8094 हेक्टयर के बाबत एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान में पटवारी हल्का बिजोलियां द्वारा जरिये तहसीलदार एक प्रकरण अन्तर्गत धारा 177 शंकरलाल मेवाड़ा एवं उसके परिवार के सदस्यों को पक्षकार बनाया गया है। राजस्व ग्राम बिजौलियां की उक्त आराजीयात प्रार्थी प्रस्तुतकर्ता द्वारा दिनांक 23.09.2021 ईस्वी के निष्पादित दस्तावेज के आधार पर बिल ऐवज प्रतिफल राशि 5,00,000/– अक्षरे पांच लाख रूपये में क्रय कि गई थी। जिसका पंजीयन उप पंजीयक बिजौलियों के यहा दिनांक 24.09.2021 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 113 में पृष्ट संख्या 121 पर क्रम संख्या 202103039101152 पर किया गया। उक्त दस्तावेज की फोटु प्रति इस प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। राजस्व ग्राम बिजौलियां कि आराजी संख्या 1708/611 क्षेत्रफल 0.8094 हैक्टेयर का एक मात्र मालिक मैं प्रार्थी हुँ। एवं उक्त आराजीयात का अब कोई संबंध शंकरलाल, लादुलाल, दिलीप, गीता बाई, सुरेश कलाल मेवाड़ा निवासी बिजौलियों का नही है। ऐसी सुरत में उनके द्वारा इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नही कि जा सकती है। जबकी वास्तविक मालिक मैं प्रस्तुतकर्ता हुँ। न्याय हित में मैं प्रस्तुतकर्ता एक आवश्यक पक्षकार हुँ एवं मुझे इस प्रकरण में पक्षकार बनाये बिना कोई भी विधिक आदेश पारित नही किया जा सकता है। श्रीमान के आदेश से प्रभावित होने वाला एक मात्र पक्षकार में हूं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी को आवश्यक पक्षकार मानते हुए विपक्षी पक्षकार बनाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

उक्त संबंध में तहसीलदार बिजौलियां से स्पष्ट जांच रिपोर्ट पत्रांक/रीडर/2026/486 दिनांक 12/02/2026 से चाही गयी।

जिसके जवाब में तहसीलदार बिजौलियां ने पत्रांक/राजस्व/2026/456 दिनांक 01.04.2026 से रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली हैं।

तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 17/2020 दायर तारीख 20.03.2020 के अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ग्राम बिजौलिया कला में स्थित आराजी नं0 1708/611 रकबा 0.8094 है० भूमि

लगातार पेज संख्या 05 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

की रिकार्ड एवं मौका स्थिति की रिपोर्ट चाही गई है। आराजी नं0 1708/611 रकबा 0.8094 है0 भूमि गीताबाई पुत्री पृथ्वीराज कलाल वगैरह खातेदारान् (जमाबन्दी अनुसार) के नाम खातेदारी हक से रेकार्ड में दर्ज है। जिसकी तरमीम राजस्व नक्शा लट्ठा में हो रखी है। मौका स्थिति पर उक्त आराजी पर सुमित कुमार पिता मोहनलाल जोशी जाति ब्राह्मण निवासी बिजौलियां का कब्जा पाया गया है। वर्तमान में उक्त भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है। एवं किसी प्रकार के **गैर कृषि कार्य हेतु उपयोग में नही आ रही है।** तहसीलदार बिजौलियां ने पटवारी रिपोर्ट, जमाबन्दी नकल, नक्शा ट्रेस की प्रतियां सलंग्न की है।

प्रार्थना पत्रों का अध्ययन किया गया एवं मनन किया गया साथ ही पत्रावली का अध्ययन किया गया दस्तावेजों का अध्ययन करने पर न्यायालय ने पाया कि उक्त आराजीयात प्रतिवादीगण संख्या 07 का कब्जा पाया गया है। वर्तमान में उक्त भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है एवं किसी प्रकार के **गैर कृषि कार्य हेतु उपयोग में नही आ रही है।** इसलिए उक्त आराजीयात पर अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद चलने योग्य नहीं है। अतः आदेश जारी किए जाते हैं। परन्तु जहॉ वादपत्र विधि द्वारा निषिद्ध हो और चलने योग्य नही हो तो उसे प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारीज किया जा सकता है यह वादपत्र भी माननीय राजस्व मण्डल द्वारा समय समय पर पारित न्यायिक निर्णयों एवं प्रतिवादित सिद्धान्तों के आधार पर विधि द्वारा वर्जित वादपत्र की श्रेणी में आता है। अतः प्रतिवादीगण संख्या 07 के अधिवक्ता द्वारा **प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. स्वीकार कर** वादपत्र वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ़्तर हो।

आदेश आज दिनांक 07/05/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

राजस्थान सरकार
मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 17 / 2020

दायर दिनांक 20.03.2020

अनवान्

01. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.....डिक्रीदार

बनाम्

1. शंकरलाल पिता पृथ्वीराज कलाल निवासी बिजौलियां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. लादूलाल पिता पृथ्वीराज कलाल निवासी बिजौलियां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. सुरेश पिता पृथ्वीराज कलाल निवासी बिजौलियां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
4. दिलीप पिता पृथ्वीराज कलाल निवासी बिजौलियां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
5. गीता बाई पिता पृथ्वीराज कलाल निवासी बिजौलियां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
6. बालीबाई बेवा पृथ्वीराज कलाल निवासी बिजौलियां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
7. सुमित कुमार पुत्र मोहनलाल जोशी जाति ब्राह्मण निवासी बिजौलियां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.....मदयून

उपस्थित :– 01. पैरोकार सरकार। अधिवक्ता डिक्रदार
02. श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ – अधिवक्ता मदयून

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 07 / 05 / 2026

डिक्री दिनांक : 07 / 05 / 2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियॉ बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादीगण श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ एवं पैरोकार सरकार को हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :–

प्रार्थना पत्रों का अध्ययन किया गया एवं मनन किया गया साथ ही पत्रावली का अध्ययन किया गया दस्तावेजों का अध्ययन करने पर न्यायालय ने पाया कि उक्त आराजीयात प्रतिवादीगण संख्या 07 का कब्जा पाया गया है। वर्तमान में उक्त भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है एवं किसी प्रकार के गैर कृषि कार्य हेतु उपयोग में नही आ रही है।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

इसलिए उक्त आराजीयात पर अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद चलने योग्य नहीं है। अतः आदेश जारी किए जाते हैं। परन्तु जहाँ वादपत्र विधि द्वारा निषिद्ध हो और चलने योग्य नही हो तो उसे प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारीज किया जा सकता है यह वादपत्र भी माननीय राजस्व मण्डल द्वारा समय समय पर पारित न्यायिक निर्णयों एवं प्रतिवादित सिद्धान्तों के आधार पर विधि द्वारा वर्जित वादपत्र की श्रेणी में आता है। अतः प्रतिवादीगण संख्या 07 के अधिवक्ता द्वारा **प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. स्वीकार किया जाता है** तथा वादपत्र वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ़्तर हो। डिक्री आज दिनांक 07.05.2026 को मूर्तिब की गई।

नीज .....Nil.....मुबलिग ..... Nil .....बाबत् ...Nil ....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil .....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... Nil .....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07 मई 2026 को जारी किया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड़ अधिकारी
बिजौलियाँ

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महनताना वकील ( )	—		महनताना वकील ( )	—	
खर्चा गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
फीस कमीश्नर	—		फीस कमीश्नर	—	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—		बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	
मुनफरिक	—		मुनफरिक	—	
मीजान			मीजान		

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड़ अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा